बाबत

सहायक कलक्टर (फास्ट्रैक) खैरथल-तिजारा

25/07/24
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित।
प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

सहायक कलक्टर (फास्ट्रैक) (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बलाई

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
75/2024	20.05.2024	25.02.2025

उनवान

1. रामकला देवी पत्नी रामानन्द
2. किरण देवी पत्नी कृष्ण कुमार जातियान अहीर निवासीयान मुण्डनवाडा कला तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: प्रार्थी

बनाम

1. विनोद सिंह
2. महेश सिंह पुत्रान जगवीर सिंह जाति राजपूत निवासी छापुर तहसील मुण्डावर
3. दलीप सिंह पुत्र जयसिंह जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. उप पंजियक महोदय तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0
5. श्रीमान तहसीलदार महोदय लैण्ड होल्डर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी अधिवक्ता – श्री पृथ्वीसिंह यादव
अप्रार्थीगण अधिवक्ता – श्री बस्तीराम यादव

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार निम्न प्रकार से है कि :–

1. यह है कि उपरोक्त अनुवान का वाद मय प्रार्थना पत्र के अदालत श्रीमान के समक्ष विस्तृत वाकेयात के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमें मिन प्रार्थीगण को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है। प्रार्थना पत्र को दावा का भाग माना जाकर दावा के साथ पढा जावे।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

2. यह है कि उक्त वाद के समर्थन में मिन प्रार्थीगण ने नजरी नक्शा मौका, शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थीगण का वाद मय प्रार्थना पत्र प्रायमा फैसाई पूर्णतः आयद वो साबित है। जिसमे मिन प्रार्थीगण को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।

3. यह है कि आ0 हाल ख0न0 776 रकबा 1.24 हैक वाके ग्राम छापुर तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा में स्थित है जो प्रस्तुत प्रा0 पत्र में विवादित आ० कहलायेगी।

4. यह है कि विवादित आराजी हाल ख0नं0 776 रकबा 1.24 साबिक ख0 न0 844 रकबा 5 बीघा से बना है उक्त ख0न0 में प्रार्थी नं0 1 ने दिनांक 20/09/2004 को कुल रकबा का 1/2 भाग तथा प्रार्थी नं0 2 ने कुल रकबा 1/8 भाग जरिये रजि0 वैयनामा उचित प्रतिफल राशि 135,000/रू० विकेतागण को अदा करते हुए खरीद किया था विकेतागण ने अपना हिस्सा ख० न० के पश्चिमी डोल के साथ विकय किया था जिस बाबत बैयनामा दिनांक 20/09/2004 में नोट अंकित किया गया है वक्त खरीद ही अपनी खरीद शुदा भूमि का कब्जा उक्त विवादित ख0 न0 के पश्चिमी रास्ता से लगता हुआ लिया था वक्त खरीद से आज तक बिना किसी ऐतराज व विरोध के मिनप्रार्थीगण शान्तिपूर्वक तरीके से काबिज होकर अपनी खरीदशुदा भुमि पर फसल काश्त करते आ रहे है मिन प्रार्थीगण को अपनी खरीदशुदा भूमि कुल 5ध्8 हिस्से पर कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है लेकिन अप्रार्थीगण मिन प्रार्थीगण से दिली रंजिस रखते है जो मिनप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से आपस में साजबाज होकर अप्रार्थी नं0 1 व 2 विवादित ख.न. 776 में अपने हिस्से की भूमि को दिगर लोगो को रहन बय से मुन्तकिल करने पर आमादा है जिस बाबत कल दिनांक 19/05/2024 को मिन प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी दी की हम अपने हिस्से की भूमि ऐसे व्यक्ति को बेचान करेंगे जो तुम्हारे द्वारा खरीदी गयी भुमि तुम्हारे कब्जे काश्त की भूमि पर जब्रन कब्जा लेंगा तथा हम भी बेचान करते समय पश्चिमी डोल के साथ लगती हुयी भुमि जो सीमा रास्ते के साथ लगती हुयी है का ही विकय पत्र लिख वायेंगे जिससे तुम्हारा भुमि में फसल काश्त करने के लिए आवागमन ही बंद कर देंगे जिससे विवादित भूमि में फसल कास्त करना ही मुश्किल हो जायेगा जबकि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में शामलाती सह खातेदारी की भुमि दर्ज है तथा मौके पर पश्चिमी डोल के साथ मिन प्रार्थीगण उसके बाद अप्रार्थी न0 3 काबिज काश्त है तथा उसके बाद अप्रार्थी न0 1 व 2 का हिस्सा है जिस पर पिछले 30 वर्षो से प्रार्थीगण का कभी कब्जा काश्त नही रहा मौके पर अन्य लोग श्यामवीर सिंह की पत्नी कान्ता देवी काबिज काश्त है विवादित जायदाद में मिन प्रार्थीगण के हिस्से से अप्रार्थीगण का कोई सम्बंध वो सरोकार नही है बिना वजह मिन प्रार्थीगण के फसल काश्त करने में अप्रार्थीगण हस्तक्षेप करते

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

है इसलिए राजस्व रिकार्ड में सह काश्तकारी के रूप मे दर्ज होने के कारण मौके पर काश्त करना मुश्किल हो रहा है तथा कल दिनांक 19/05/2024 को अप्रार्थीगण द्वारा विवादित आ0 के विशिष्ट भू–भाग (पश्चिमी दिशा मे) बेचान किये जाने बाबत ऐलानिया धमकी दी जाने के बाद प्रार्थीगण का अपने हिस्से व भूमि पर फसल काश्त करना और भी मुश्किल हो गया है ऐसा करने का अप्रार्थीगण को कानूनन कोई हक व अधिकार हांसिल नही है। मिन प्रार्थीगण के अधिकार कानूनन सुरक्षित है इसलिए अपने अधिकारो की सुरक्षार्थ दावा तकास्मा श्रीमान अदालत में पेश करना आवश्यक आया है।

5. यह है कि अप्रार्थीगण राजनितिक प्रभाव वाले व लठ बल में मजबूत लोग है जो अपने मनमाने तरीके से बिना किसी कारण से मिन प्रार्थीगण जो दूसरे गांव के निवासी है विवादित भुमि में प्रार्थीगण के काश्त करने में आये दिन प्रार्थीगण को तंग व परेशान करते है जबकि मौके पर पिछले 30–32 साल से बाहमी बंटवारा के आधार पर अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड में सामलाती दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को बिना वजह तंग व परेशान करते है फसल काश्त नही करने देते इसलिए विवादित भूमि का मुताबिक राजस्व रिकार्ड हिस्सा दर्ज करते हुये बाईमिट्स एण्ड बाउण्डस मौके पर कब्जे अनुसार तकासमा कराने व अलग से लगान तय कराने का अधिकारी है।

6. यह है कि यह है कि यह है कि अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादों में आमादा है जो विवादित आ0 जो अबट है सह–काश्तकारान सामलात में काश्त कर रहे है विवादित आ0 का विधिक तकास्मा आज तक नही हुआ है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण विवादित आ0 के रास्ते से लगते हुये हिस्से पर जब्रन लठ के बल पर कब्जा करके तथा विधिक तकासमा कराये बिना भूमि के विशिष्ट भाग को दीगर लोगो को विकय कर दिया तथा मुठमर्द लोगों ने उक्त विवादित आ0 के हिस्से पर कब्जा पक्का कर लिया तो मिन प्रार्थीगण जो ग्रामीण अनपढ महिला है को अजहद हानि होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से रूपयों पैसों में नहीं आंकी जा सकेगी तथा मिन प्रार्थीगण को राजस्व रिकार्ड के अनुसार हक व हिस्सा नही मिलेगा व अप्रार्थीगण द्वारा भूमि पर काश्त नहीं करने दी जायेगी तो मिन प्रार्थीगण को अत्यधिक असुविधा होगी जबकि मिन प्रार्थीगण के हक व अधिकार कानूनन सुरक्षित है इसलिए अपने अधिकारों के रक्षार्थ कानूनन मिन प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जर्ये हु0 ई दवामी से पाबंद कराने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा ऑडर 39 नियम 1 व 2 जा०दी० एवं धारा 212 RT ACT पेशकर निवेदन है कि प्रा0 पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आ0 ख0 न0 776 रकबा 1.24 है0 साबिक ख0 न0 844 वाके

सहायक कलेक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

ग्राम छापुर तह0 मुण्डावर का विधिक तकास्मा कराये बिना उक्त भूमि के तरफ पश्चिम दिशा में स्थित रास्ता से लगता हुआ विशिष्ट भाग पर लठ के बल पर जब्रन कब्जा नही करे तथा जब्रन कब्जा करके कोई कच्चा पक्का निर्माण नही करे। विवादित आ० का विधिक तकास्मा होने तक आ0 का पश्चिमी डोल से लगता हुआ कोई विशिष्ट भाग रहन बय से मुन्तकिल ना करे मौके पर कब्जे काश्त में हस्तक्षेप ना करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी की विधिवित रूप से तामिल करवाई गई। तामिल उपरान्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 ने जबाव प्रस्तुत किया गया जो निम्न प्रकार से है :–

1. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 1 बाबत प्रार्थना पत्र है, गलत है, प्रार्थीयागण को कामयाबी की आशा नहीं रखनी चाहिए।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 2 गलत है, स्वीकार नहीं है, प्रार्थीयागण ने दस्तावेज गलत पेश किये है, तथा शपथ पत्र भी गलत है, प्रार्थीयागण का केश प्रायमा फैसाई साबित नहीं होता है।
3. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं० 3 सही है स्वीकार है।
4. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं0 4 इतना सही है कि आराजी मुतनाजा 1/2 भाग प्रार्थीया सं0 1 प्रार्थीया सं0 2 का 1/8 भाग खरीद शुदा है। प्रार्थीयागण सहखातेदारी की आराजी में से अबट हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद किया है लेकिन प्रार्थीया द्वारा कराया गया बैयनामा विधि विरुद्ध है कोई भी सहखातेदार बिना विभाजन कराये सहखातेदारी की आराजी में से विशिष्ठ भू भाग का बेचान नहीं कर सकते है यदि बेचान कर भी दिया तो ऐसा विक्रय विलेख विधि विरूद्ध है उसका कोई साक्षीक मूल्य नहीं है। प्रार्थीया द्वारा कराये गये बैयनामे का विधिक रूप से कोई अधिकार विशिष्ठ भूखण्ड पर सृजित नहीं होते है ना ही इस प्रकार के विधि विरुद्ध बैयनामे के आधार पर प्रार्थीया विशिष्ठ भूखण्ड पर कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारणी है। एक सहखातेदार द्वारा विशिष्ठ भूखण्ड का बेचान सीमांकित किया जाकर बिना दूसरे सहखातेदारो की सहमति के किया गया है तो ऐसा दस्तावेज प्रारम्भ से शून्य है ऐसे दस्तावेज का कोई प्रभाव नहीं रहता है विधि के प्रतिप्रादित सिद्वान्त एवं श्रीमान राजस्व न्यायालय के निर्णय के अनुसार कोई भी सहखातेदार अपना हिस्सा विक्रय के लिये स्वतंत्र है लेकिन सहखातेदारी की आराजी में से आराजी को सीमांकित करते हुये विशिष्ठ भूखण्ड चिन्हित करते हुये कराये गये बैयनामे का कोई प्रभाव नहीं रहता है ना ही केता ऐसे बैयनामा के आधार पर कोई रिलीफ प्राप्त कर सकता है ना ही उक्त बैयनामा की पालना न्यायालय श्रीमान से कराने के लिये अधिकारवान है। प्रार्थीयागण के कथनानुसार पश्चिमी डोल के साथ भूखण्ड को प्रार्थीयागण के विक्रेता ने प्रार्थीयाण के पक्ष में वैयनामा कराया जो रास्ते से लगता हुआ है प्रार्थीयागण लोकल टिनेन्ट नहीं है

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

दूसरे गांव से आकर आराजी खरीदी है अपार्थीगण की खानदानी आराजी है पूर्वजो विरासतन प्राप्त हुयी है पूर्वजो के फुट्स पर उनके स्थान पर प्रतिस्थापित हुये है। एक स्ट्रेन्जर ऑफ पफैमली एवं स्ट्रेन्जर ऑफ प्रोपर्टी मूल खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद कराने का अधिकारी नहीं है। एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को अपना हिस्सा विक्रय करने से नहीं रोक सकता है प्रत्येक सहखातेदार को अपना हिस्सा विक्रय करने का स्वतंत्र अधिकार है। प्रार्थीयागण स्वय ने भी एक सहखातेदार से बिना विभाजन कराये बैयनामा कराया है उसी कार्य के लिये प्रार्थीयागण दीगर व्यक्ति सहखातेदार को विक्रय के लिये पाबंद कराने का कानूनी अधिकार नहीं रखती है। प्रार्थीयागण का यह कहना भी गलत है कि अप्रार्थी ने अपना हिस्सा विक्रय करने की अमुख दिनांक को धमकी दी कथन बनावटी, मिथ्या एवं तर्कहीन है जब अप्रार्थी को आराजी विक्रय करनी है तो अपने विपक्षी पक्ष का इस बाबत सूचना या धमकी देने का प्रश्न नहीं उठता है ना ऐसे तथ्यों की परिकल्पना की जा सकती है। प्रार्थीयागण द्वारा कथन किया है कि अप्रार्थी ने दिनांक 19/05/2024 को आराजी में से विशिष्ठ भूखण्ड पश्चिमी भाग का विक्रय करने की धमकी दी है यह कहना भी गलत है कि अप्रार्थी ने बेचान की योजना बनायी हो या बेचान का प्रस्ताव रखा हो लेकिन प्रार्थीयागण द्वारा आराजी के किसी विशिष्ठ भूखण्ड को खरीदने के जिस विधि के अधीन अधिकार थे उसी विधि के अधीन अप्रार्थीगण भी अपने हिस्से को सीमांकित करने का अधिकार रखते है। आराजी का तकासमा कराये बिना स्ट्रेन्जर केता कब्जा लेने का व जब्रन आराजी पर प्रवेश करने का अधिकार नहीं रखता है। प्रार्थीगण केता है जो बिना विभाजन आराजी मुतनाजा पर कब्जा करने एवं अप्रार्थी मूलखातेदार को किसी प्रकार पाबंद कराने की अधिकारणी नहीं है। आराजी का तकासमा मौका कब्जा के आधार पर कुर्रे रिपोर्ट प्राप्त कर तकसीम किये जाने के लिये आदेश फरमाये जावे तो हमें कोई एतराज नहीं है।

5. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं0 5 गलत है स्वीकार नहीं है। अप्रार्थीगण के परिवार रिश्तेदारी में कोई राजनेता, विधायक, सांसद, प्रधान, जिला प्रमुख आदी पदों पर कोई व्यक्ति नहीं है। अप्रार्थीगण काश्तकार ग्रामीण व्यक्ति है जो आराजी पर अन्य सहखातेदारान के साथ शांति से काश्त करते रहे है पूर्व में कभी सहखातेदारान में कोई विवाद नहीं रहा है लेकिन प्रार्थीया ने जब से आराजी खरीद की है सभी सहखातेदारा की शांति भंग कर रखी है प्रार्थीया ने बदयान्ति से मौके व कब्जे के खिलाफ विक्रेता से बैयनामा दिशा अंकित कराते हुये शून्य प्रभावी प्रभावहीन बैयनामा कराया और अब प्रार्थीयागण पश्चिमी भाग पर कब्जा लेने में असफल रहने के कारण अब प्रभावहीन दस्तावेज के सहारे प्रार्थना पत्र की आड में अनुचित रूप से हथकंडा अपना कर अदालत से आदेश कराने की जुस्तजू में है। आराजी का तकासमा मौका व कब्जा के अनुसार कराया जावे तो अप्रार्थी सं० 1 ल0 3 को कोई एतराज नहीं है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुज़फ्फर (खैरथल-तिजारा)

6. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं0 6 गलत है स्वीकार नहीं है। आराजी का बंहामी बंटवारा अर्सा दराज पूर्व हो रहा है आराजी में से पश्चिमी भाग पर अप्रार्थीगण पूर्वजो के समय से पूर्वजो के फुट्स पर मौके पर काबिज है काश्त कर रहे है शून्य प्रभावी बैयनामा के आधार पर प्रार्थीयागण अपने नापाक इरादो में कामयाब होने के लिये विधि से कोई सरंक्षण प्राप्त करने की अधिकारणी नहीं है। प्रार्थीयागण अपने विक्रेता के फुट्स पर विक्रेता के कब्जे वाले भूखण्ड पर कब्जा प्राप्त करे तो हम अप्रार्थीगण को कोई उज्ज नहीं है लेकिन प्रार्थीयागण प्रार्थना पत्र की आड में हम अप्रार्थीगण के वास्तविक कब्जे में दखल पहुंचाने, जबरन बेदखल करने की अधिकारणी नहीं है। प्रार्थीयागण अप्रार्थीगण को उनके खानदानी हिस्से व कब्जे से हटाने के लिये मुश्तहक नहीं है।
7. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 7 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र में कोई अजहद क्षति व प्राईमाफेसाई व सुविधा का सन्तुलन पैदा होने का सवाल ही नहीं है। इसलिये प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को हु0 ई0 दवामी के किसी भी अनुतोष से पाबंद कराने के अधिकारी नहीं है। इसलिये कानूनन प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन कहे कि विवादित आराजी प्रार्थी की जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा से खरीद की हुई है। विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी की सहखातेदारी आराजी है। विवादित आराजी पर प्रार्थी व अप्रार्थी अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त कर रहे है। परन्तु अप्रार्थी विवादित आराजी को आये दिन प्रार्थी के हिस्से को जोतने बोने पर उतारू हो रहे है और डोल को मिसमीनार करते रहते है। विवादित आराजी का बहामी बटवारा हो रखा है परन्तु बटवारा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज नही है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को विवादित आराजी पर कब्जा ना करने व डोल को मिसमीनार ना करने बाबत कहा तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को बेदखल कर बेचान करने व निर्माण कार्य करने की धमकी देने। माननीय न्यायालयों द्वारा विभिन्न पत्रावलीयो में निर्णय पारित करते आदेश पारित किये गये है कि विवादित आराजी में सहखातेदार काश्तकार को जब तक बटवारा नही हो जाता है तो उसे स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाना उचित है।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन कहे कि विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी की सहखातेदारी आराजी है। विवादित आराजी पर प्रार्थी व अप्रार्थी अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त कर रहे है। मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। प्रार्थी ने केवल अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से यह स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है। माननीय उच्च न्यायालयो द्वारा पारित विभिन्न पत्रावलीयो के निर्णय के अनुसार खातेदार

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

को स्थगन आदेश से पाबन्द किया जा सकता है। यदि प्रार्थी ने अप्रार्थी से कोई परेशानी है तो वह अपने हक हिस्से तक स्थगन आदेश प्राप्त कर सकता है ना की सम्पूर्ण विवादित आराजी पर। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को खारिज कर विवादित आराजी को स्थगन आदेश निरस्त किया जावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व अप्रार्थीगण का जबाव का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर प्रार्थना पत्र का विवेचन इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड में सहखातेदार काश्तकार दर्ज है। किसी खातेदार काश्तकार को स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाना न्यायउचित प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है एवं आराजी ख0 नं0 हाल खसरा नम्बर 776 साबिक खसरा नम्बर 844 वाके ग्राम छापुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान पर अन्तिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर वाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0